

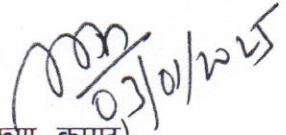
बिहार सरकार
वित्त विभाग ।

वित्त विभाग में अग्निशमन यंत्रों के अधिष्ठापित करने एवं रख-रखाव के लिए एजेंसी चयन हेतु अल्पकालीन निविदा :-

वित्त विभाग, बिहार, पटना में अग्निशमन यंत्रों के अधिष्ठापित करने एवं रख-रखाव के लिए एजेंसी चयन हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक- **16.01.2025 के अपराह्न 05:00 बजे तक** निबंधित/स्पीड पोस्ट या हाथों-हाथ वित्त विभाग के डाक प्राप्ति शाखा में किसी भी कार्य दिवस को जमा किया जा सकेगा । प्राप्त निविदाओं को दिनांक- **17.01.2025 के पूर्वाह्न 11:00 बजे** विभागीय क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं ।

तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में देना होगा । निविदा की शर्तें वित्त विभाग के वेबसाईट <https://state.bihar.gov.in/finance> से Download किया जा सकता है । जमानत की राशि **रु० 25,000/-** (पच्चीस हजार रुपये) मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में संयुक्त आयुक्त, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पदनाम से देय होगा, जो तकनीकी निविदा के साथ जमा करना होगा ।

क्र०सं०	अग्निशमन का प्रकार	मात्रा
1.	Clean Agent- 6 kg.	50 पीस
2.	ABC Powder- 6 kg	48 पीस
3.	Water CO2 - 50 Ltr	14 पीस
4.	CO2 Gas - 22.5 kg	14 पीस
5.	Water CO2 - 9 Ltr	13 पीस


(अरुण कुमार)
संयुक्त आयुक्त
वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

क. तकनीकी निविदा की शर्तें

1. निविदादाता/आपूर्तिकर्ता को EMD की राशि रु० 25,000 /—(पच्चीस हजार रुपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्गत "संयुक्त आयुक्त, वित्त विभाग" के पक्ष में देय हो, की मूल प्रति संलग्न करना होगा। बैंक ड्राफ्ट की स्कैन की गई कॉपी मान्य नहीं होगी। EMD की राशि निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
2. निविदादाता/आपूर्तिकर्ता/फर्म/संस्थान को GST में निबंधित होने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा एवं अद्यतन GST Return (माह मार्च 2024 तक) की कॉपी संलग्न करना होगा।
3. PAN कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
4. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम/निगम या किसी भी अन्य संस्थान द्वारा काली सूची में दर्ज/Debarred नहीं होने तथा कार्य से असम्बद्ध अथवा नहीं हटाए जाने तथा किसी अपराधिक मामले में नाम दर्ज नहीं होने का नोटरी द्वारा निर्गत शपथ-पत्र देना होगा।
5. अग्निशमन यंत्रों के अधिष्ठापित करने एवं रख-रखाव से संबंधित कम से कम तीन वर्षों का केन्द्र/राज्य सरकार के कार्यालयों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र एक कार्यालय अथवा एक से अधिक कार्यालय द्वारा निर्गत होना चाहिए।
6. निविदादाता को विगत तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23 एवं 2023-24) का आयकर रिटर्न संलग्न करना होगा।
7. निविदादाता को अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र (जो निविदा खोलने की तिथि तक 6 माह से पुराना न हो) पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत संलग्न करना होगा।
8. निविदादाता द्वारा निविदा में दर्शाये गए सभी शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित स्व-घोषणापत्र हस्ताक्षरित संलग्न करना होगा।
9. निविदा को लिफाफा में बंद करने से संबंधित सूचना:-
(क) निविदादाता तकनीकी निविदा से संबंधित सभी कागजात एक लिफाफा में रखकर, लिफाफा के ऊपर "अग्निशमन यंत्रों के अधिष्ठापित करने एवं रख-रखाव हेतु तकनीकी निविदा" एवं लिफाफा पर बायें तरफ में फर्म का नाम लिखेंगे तथा उसे सील बंद करेंगे।
(ख) निविदा के साथ संलग्न वित्तीय निविदा का प्रपत्र प्रारूप 'क' में अपना अग्निशमन यंत्रों का Rate वर्णित कर इसे एक दूसरे लिफाफा में रखकर, लिफाफा के ऊपर "अग्निशमन यंत्रों के अधिष्ठापित करने एवं रख-रखाव हेतु वित्तीय निविदा" एवं लिफाफा पर बायें तरफ में फर्म का नाम लिखेंगे तथा सील बंद करेंगे।
(ग) तत्पश्चात तकनीकी निविदा के लिफाफा एवं वित्तीय निविदा के लिफाफा को एक बड़े लिफाफा में डालकर उसके ऊपर "अग्निशमन यंत्रों के अधिष्ठापित करने एवं रख-रखाव हेतु निविदा" अंकित करेंगे एवं बड़े लिफाफा के दाहिने तरफ में पता "संयुक्त आयुक्त, वित्त विभाग, बिहार, पटना" एवं बायें साईड में फर्म का नाम एवं पता अंकित करेंगे।
10. निविदादाता सीलबंद निविदा इस तरह भेजेंगे कि प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय तक वित्त विभाग के डाक प्राप्ति शाखा में निविदा प्राप्त हो जाए। अंतिम तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
11. निविदादाता वित्त विभाग के डाक प्राप्ति शाखा में अंतिम तिथि एवं समय तक हाथों-हाथ भी निविदा जमा कर सकते हैं।
12. निविदादाता निविदा की शर्तों के संबंध में किसी बिन्दु पर जानकारी हेतु संयुक्त आयुक्त से कार्यालय अवधि में सम्पर्क कर सकते हैं।

ख. वित्तीय निविदा की शर्तें

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं के वित्तीय निविदा को खोलने पर विचार किया जायेगा।
2. निविदा में भाग लेने वाले फर्म को प्रारूप (क) में अपने अग्निशमन यंत्रों का दर प्रति इकाई सभी कर सहित देना होगा। प्रारूप (क) का प्रपत्र इसके साथ संलग्न है। प्रत्येक अग्निशमन यंत्रों के प्रति यूनिट का दर अंक में एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। यदि शब्दों एवं अंकों में अंकित दर में अन्तर होता है, तो शब्दों में अंकित दर मान्य होगा।

3. यदि चयनित एजेन्सी L1 एकरारनामों के शर्तों को पूरा करने में असफल अथवा इन्कार करते हैं, तो विभाग L1 दर पर चयनित एजेन्सी के स्थान पर अग्निशमन यंत्रों हेतु L2 अथवा L3 से L1 के दर पर एकरारनामा करने हेतु स्वतन्त्र होगा तथा L1 चयनित एजेन्सी का EMD की राशि को जब्त कर लिया जायेगा ।
4. L1 दर पर चयनित एजेन्सी द्वारा निविदा की कंडिका 'ग' में अंकित शर्तों को L1 दर पर पूरा करने से संबंधित Justification प्रस्तुत करना होगा ।
5. प्रपत्र 'क' में निविदादाता का नाम, निविदादाता का पता एवं निविदादाता का मोबाईल नं० के साथ-साथ फर्म का मुहरांकन स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए ।
6. विहित प्रपत्र में उक्त सूचनाओं के साथ स्पष्ट दर अंकित नहीं होने पर उनके निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।
7. यदि अग्निशमन यंत्रों हेतु कोई दर अंकित नहीं किया गया है, तो बोली को गैर-उत्तरदायी बोली माना जायेगा एवं EMD की राशि को जब्त कर लिया जायेगा ।

ग. अग्निशमन यंत्रों के वार्षिक रख-रखाव संबंधी अन्य शर्तें:-

1. एकरारनामा प्रारम्भ में 2 वर्षों की अवधि के लिए होगा, जो समान नियमों एवं शर्तों पर संतोषजनक सेवाओं के आलोक में नियमानुसार आगे की अवधि हेतु बढ़ाया जा सकता है ।
2. निविदादाता का प्रधान/शाखा का कार्यालय पटना में होना चाहिए ।
3. अग्निशमन यंत्रों के रख-रखाव नहीं करने पर या किसी अन्य कारणों से, तो ऐसी स्थिति में 15 दिनों की पूर्व सूचना देकर इस कार्यालय द्वारा अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है ।
4. निविदा/बिड स्वीकार करने पर सेवाप्रदाता को अनुबंध की पूरी अवधि के मूल्य के 5 प्रतिशत के समतुल्य राशि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से Fixed Deposit Receipt (FDR) अथवा बैंक गारंटी के रूप में performance security जमा करना होगा । performance security अनुबंध के पूरा होने की तिथि से कम से कम 60 दिनों की अधिक अवधि के लिए वैध रहना चाहिए ।
5. Breakdown या Exigency की स्थिति में सूचित किये जाने पर अविलम्ब वार्षिक रख-रखाव कर्त्ता से अवकाश के दिनों में यथा शनिवार/रविवार/राजपत्रित अवकाश के दौरान तथा कार्यालय अवधि के पश्चात् भी Maintenance की आवश्यकता के अनुरूप कार्य लिया जा सकता है, जिसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा ।
6. वित्त विभाग के पास निविदा रद्द करने, नियम एवं शर्तों को बदलने तथा इस निविदा से संबंधित हर तरह के निर्णय लेने का सर्वाधिकार सुरक्षित है ।
7. सभी कार्य वित्त विभाग के अधीन कार्यालयों में की जायेगी । किसी भी परिस्थिति में वार्षिक रख-रखावकर्त्ता द्वारा अग्निशमन यंत्रों को वित्त विभाग से बाहर नहीं ले जायेंगे । यदि मरम्मत हेतु बाहर ले जाना आवश्यक हो, तब वित्त विभाग के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अनुमति दिये जाने के पश्चात् ही अनुमति पत्र के साथ कोई भी सामान वित्त विभाग के कार्यालय से बाहर ले जा सकेंगे ।
8. वार्षिक रख-रखाव अनुबंध की अवधि के दौरान एक बार निर्धारित दर को पुनः दर की वृद्धि किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा । सामानों की दुलाई आदि अन्य कार्यों पर हुए व्यय के लिए अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा ।
9. सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा । साथ ही निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त निविदा पर भी विचार नहीं किया जायेगा ।
10. सफल निविदादाता निविदा प्राप्त करने के 01 महीने के भीतर अलग से 1,000/- (एक हजार रुपये) Judicial Stamp Paper पर एक एकरारनामा करना होगा ।
11. किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा पटना जिला स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा ।

५

घ. दण्ड (Penalty)-

1. शिकायत दर्ज करने के उपरांत 4 घंटे के अंदर कार्य करना सुनिश्चित किया जाना होगा।

ड. अग्निशमन यंत्रों के अधिष्ठापित करने एवं रख-रखावकर्ता के दायित्व एवं कर्तव्य :-

1. वित्त विभाग एवं उसके संलग्न कार्यालयों में आवश्यकता के आधार पर एजेंसी के अग्निशमन यंत्रों का अधिष्ठापन एवं रख-रखाव का कार्य किया जायेगा।
2. एजेंसी द्वारा प्रत्येक महीने के 01 से 07 के बीच वित्त विभाग अधिष्ठापित सभी अग्निशमन का जाँच किया जायेगा एवं जाँच प्रतिवेदन विभाग का उपलब्ध कराया जायेगा ।।
3. बिहार सरकार के अग्निशमन पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिष्ठापित अग्निशमन यंत्रों की जाँच की जायेगी एवं जाँच में अग्निशमन पदाधिकारी द्वारा पाये गये किसी प्रकार की त्रुटी का अविलम्ब निराकरण आपूर्तिकर्ता द्वारा 4 घंटे के अंदर कर दिया जायेगा ।
4. आवश्यकता पड़ने पर निम्न परिस्थितियों में आपूर्तिकर्ता द्वारा 4 घंटे के अंदर कार्रवाई की जायेगी:-
 - i. अग्निशमन यंत्रों के अग्निशमन पाउडर/गैस/पदार्थ का लीकेज,
 - ii. आग लगने की स्थिति में अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग किये जाने के उपरान्त,
 - iii. किसी अन्य परिस्थिति में सूचित किए जाने पर ।
5. प्रत्येक अग्निशमन यंत्र पर उसके Expire होने की तिथि एजेंसी द्वारा अंकित किया जायेगा एवं Expire होने की तिथि के पूर्व एजेंसी द्वारा विभाग को सूचित करते हुये उसे बदलने की कार्रवाई की जायेगी ।
6. प्रत्येक महीने जाँच किये जाने के उपरान्त एजेंसी द्वारा अग्निशामक सिलेन्डर पर निम्न जानकारी विपकायी जायेगी :-
 - i. आपूर्तिकर्ता एजेंसी का नाम:-.....
 - ii. सिलेन्डर का Embossed पहचान सं०:-.....
 - iii. जाँचकर्ता का नाम:-.....
 - iv. जाँच करने की तिथि:-.....
 - v. Due Date of Next Inspection:-.....
7. समय-समय पर एजेंसी द्वारा वित्त विभाग के कर्मियों को अग्निशमन यंत्रों के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जायेगा ।
8. यदि अग्निशमन यंत्रों के किसी प्रकार की खराबी पायी जाती है तो 4 घंटों के अंदर उस खराबी को निःशुल्क ठिक किया जायेगा उसके बदले नये यंत्र की आपूर्ति एजेंसी द्वारा किया जायेगा ।
9. किसी भी समय निविदा की शर्तें बदलने, नये शर्तों को जोड़ने, पुराने शर्तों को हटाने या पूरे निविदा को रद्द करने का सर्वाधिकार वित्त विभाग के पास सुरक्षित है एवं इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है ।

वित्तीय निविदा का प्रपत्र
प्रारूप (क)

निविदादाता का नाम

निविदादाता का पता

निविदादाता का मोबाईल नं०

Type of Fire Extinguisher	Rate Per Unit (Inclusive of all taxes) (In Number)	Rate Per Unit (Inclusive of all taxes) (In Word)
Clean Agent-6 kg.	Rs...../Unit	Rs...../Unit
ABC Powder-6 kg	Rs...../Unit	Rs...../Unit
Water CO2 -50 Ltr	Rs...../Unit	Rs...../Unit
CO2 Gas -22.5 kg	Rs...../Unit	Rs...../Unit
Water CO2 -9 Ltr	Rs...../Unit	Rs...../Unit

निविदादाता का हस्ताक्षर :-.....

निविदादाता का नाम :-.....

मुहर :-.....

4